:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :— राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः— 9/21

1. श्री लक्ष्मण पिता लाला जाति भील उम्र वयस्क निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
2. श्री सोमेश्वर उर्फ सोमा पिता लाला जाति भील उम्र वयस्क निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)

वादी

बनाम

1. श्री सेंगा पिता बिजिया डेण्डोर उम्र 65 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
2. श्री शंकर पिता मोहन डेण्डोर उम्र 45 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
3. श्री बबला पिता मोहन डेण्डोर उम्र 40 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
4. श्री चंपा पिता मोहन डेण्डोर उम्र 50 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
5. श्रीमती शिला पत्नी शंकर डेण्डोर उम्र 42 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
6. श्री अखम पत्नी शंकर डेण्डोर उम्र 44 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
7. श्रीमती दूर्गा पत्नी बबला डेण्डोर उम्र 38 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
8. श्री मुकेश पिता चंपा डेण्डोर उम्र 19 वर्ष निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
9. श्री रामा पिता सेंगा डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
10. श्री रामजी पिता सेंगा डेण्डोर उम्र वयस्क निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर (राज)
11. श्रीमान तहसीलदार एवं उपंजीयक चिखली जिला डूंगरपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धार 183, 188, 209 राज. काश्त. अधिनियम

उपस्थितः— अधिवक्ता श्री बालगोविन्द पाटीदार

—:निर्णयः—

वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण गावं डूंगरसारण तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान के स्थायी निवासी होकर खेती बाडी करके परिवार का भरण पोषण कर रहे है।

यह कि वादीगण एवं अन्य सहखातेदारों के अपने कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. 880 खसरा नं. 1254/623, 550/80, 551/80, 553/80, 555/80, 556/80, 559/80, 560/80, 562/80, 591/80, 592/80, 594/80 कुल खेत किता 13 कुल रकबा 2.0872 है. होकर स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण व अन्य सहखातेदारों का कब्जा होकर काश्त करते आ रहे हैं वर्तमान रिकार्ड में वादीगण व अन्य सहखातेदारों को नाम दर्ज रिकार्ड होकर वादीगण खातेदार काश्तकार है।

यह कि वादीगण अपने कब्जे काश्त की कॉलम संख्या 02 में अंकित आराजी में वाद दर्ज होने के 15 दिन पूर्व फसल की बुवाई को लेकर काम—काज कर रहा था। उसी समय प्रतिवादीगण जबरन अनाधिकृत रूप से वादग्रस्त आराजी में प्रवेश कर लडाई झगड़ा कर विवाद उत्पन्न करने लगे जिस पर वादीगण ने रोकने की कोशिश की तो मारपीट को उतारू हो गये। जिस पर वादीगण मौके से भाग कर घर चला गया तो प्रतिवादीगण ने मजदूरों को लेकर वादीगण के आराजी में कच्चा छापरा बनाकर जबरन हडपने के निमत से अतिक्रमण किया गया है। वादीगण कहने लगा की जमीन हमारी है जिस पर वादीगण ने पंचो को इकट्ठा कर प्रतिवादीगण को समझाईश की कौशिश की और कच्चा छापरा हटाने की कौशिश की लेकिन

प्रतिवादीगण नही माने तथा उक्त वादग्रस्त आराजी पर छपरा निर्माण करना जारी रखा जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जो मयाद अवधि में याद प्रस्तुत है।

यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबंद किये जाना आवश्यक है कि वे वादी की खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. 880 खसरा नं. 1254/623, 550/80, 551/80, 553/80, 555/80, 556/80, 559/80, 560/80, 562/80, 591/80, 592/80, 594/80 कुल खेत किता 13 कुल रकबा 2.0872 है. में निर्मित किये गये कच्चे छपरे को ध्वस्त करने व साथ ही जबरन मकान निर्माण का कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न ही अपने मित्र एजेंट से करावे न ही वादी को वादग्रस्त आराजी में काश्त करने में रूकावट पेदा न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न ही अपने मित्र एजेंट से करावे ।

यह कि ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. 880 खसरा नं. 1254/623, 550/80, 551/80, 553/80, 555/80, 556/80, 559/80, 560/80, 562/80, 591/80, 592/80, 594/80 कुल खेत किता 13 कुल रकबा 2.0872 है. में प्रतिवादी द्वारा बनाये गये छपरे को ध्वस्त कर कब्जा वादी को सूपूर्द किया जाना आवश्यक है।

यह कि वादी ने वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा प्रतिवादीगण को न तो रहन, बक्षीस , विकय किया है। न ही ऐसा कोई दस्तावेज संपादीत किया है जिससे वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम हस्तांतरित मानी जावे ऐसे में प्रतिवादीगण को विधिक अधिकार नही है कि वे वादी की खातेदारी वादग्रस्त आराजी में जबरन निर्माण करे व वादी को काश्त में रूकावट पेदा करे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र कुमार डेण्डोर व प्रवीण शुक्ला संयुक्त वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली में दिनांक 11.02.2022 को जवाब दावा पेश हुआ जो शामील पत्रावली हुआ। पत्रावली वास्ते तनकियात नियत की गई। दिनांक 06.05.2022 को वाद पत्र एवं जवाब दावा अनुसार तनकियात कायम कर स्पष्ट कि गई एवं पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। दिनांक 13.10.2023 को वादी के समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य पेश किये।

1. pw1– श्री लक्ष्मण पिता लाला जाति भील उम्र वयस्क निवासी डूंगरसारण तहसील चिखली।
   प्रदर्श 1 – खाते की हाल जमाबंदी।

उक्त बयानों में बताया गया कि वादी व अन्य सहखातेदारों के अपने कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. 880 खसरा नं. 1254/623, 550/80, 551/80, 553/80, 555/80, 556/80, 559/80, 560/80, 562/80, 591/80, 592/80, 594/80 कुल खेत किता 13 कुल रकबा 2.0872 है. में होकर स्थित है। उक्त आराजी में मेरा व अन्य सहखातेदारों को कब्जा होकर काश्त करते आ रहे है। वर्तमान रिकार्ड मेरा व अन्य सहखातेदारों का नाम दर्ज रिकार्ड होकर वादीगण खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबंद किये जाना आवश्यक है कि वे वादी की खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. 880 खसरा नं. 1254/623, 550/80, 551/80, 553/80, 555/80, 556/80, 559/80, 560/80, 562/80, 591/80, 592/80, 594/80 कुल खेत किता 13 कुल रकबा 2.0872 है. में निर्मित किये गये कच्चे छपरे को ध्वस्त करने व साथ ही जबरन मकान निर्माण का कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न ही अपने मित्र एजेंट से करावे न ही वादी को वादग्रस्त आराजी में काश्त करने में रूकावट पेदा न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न ही अपने मित्र एजेंट से करावे । ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. 880 खसरा नं. 1254/623, 550/80, 551/80, 553/80, 555/80, 556/80, 559/80, 560/80, 562/80, 591/80, 592/80, 594/80 कुल खेत किता 13 कुल रकबा 2.0872 है. में प्रतिवादी द्वारा बनाये गये छपरे को ध्वस्त कर कब्जा वादी को सूपूर्द किया जाना आवश्यक है। वादी ने वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा प्रतिवादीगण को न तो रहन, बक्षीस , विकय किया है। न ही ऐसा कोई दस्तावेज संपादीत किया है जिससे वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम हस्तांतरित मानी जावे ऐसे में प्रतिवादीगण को विधिक अधिकार नही है कि वे वादी की खातेदारी वादग्रस्त आराजी में जबरन निर्माण करे व वादी को काश्त में रूकावट पेदा करे।
साक्ष्य वादी बंद की गई।
दिनांक 05.07.2024 को वकील प्रतिवादी ने उपस्थित होकर हिदायत पैरवी नही करना चाहा अतः साक्ष्य वादी से जिरह नही की गई एवं जिरह का अवसर बंद किया गया। पत्रावली वास्ते एक पक्षीय बहस नियत की गई।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वक्त बहस वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वादी व अन्य सहखातेदारों के अपने कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. 880 खसरा नं. 1254/623, 550/80, 551/80, 553/80, 555/80, 556/80,

559/80, 560/80, 562/80, 591/80, 592/80, 594/80 कुल खेत किता 13 कुल रकबा 2.0872 है. में होकर स्थित है। उक्त आराजी में मेरा व अन्य सहखातेदारों को कब्जा होकर काश्त करते आ रहे है। वर्तमान रिकार्ड मेरा व अन्य सहखातेदारों का नाम दर्ज रिकार्ड होकर वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबंद किये जाना आवश्यक है कि वे वादी की खातेदारी आराजी ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. 880 खसरा नं. 1254/623, 550/80, 551/80, 553/80, 555/80, 556/80, 559/80, 560/80, 562/80, 591/80, 592/80, 594/80 कुल खेत किता 13 कुल रकबा 2.0872 है. में निर्मित किये गये कच्चे छपरे को ध्वस्त करने व साथ ही जबरन मकान निर्माण का कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न ही अपने मित्र एजेंट से करावे न ही वादी को वादग्रस्त आराजी में काश्त करने में रूकावट पेदा न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे न ही अपने मित्र एजेंट से करावे ।
ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. 880 खसरा नं. 1254/623, 550/80, 551/80, 553/80, 555/80, 556/80, 559/80, 560/80, 562/80, 591/80, 592/80, 594/80 कुल खेत किता 13 कुल रकबा 2.0872 है. में प्रतिवादी द्वारा बनाये गये छपरे को ध्वस्त कर कब्जा वादी को सूपूर्द किया जाना आवश्यक है। वादी ने वादग्रस्त आराजी का कोई हिस्सा प्रतिवादीगण को न तो रहन, बक्षीस , विकय किया है। न ही ऐसा कोई दस्तावेज संपादीत किया है जिससे वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के नाम हस्तांतरित मानी जावे ऐसे में प्रतिवादीगण को विधिक अधिकार नही है कि वे वादी की खातेदारी वादग्रस्त आराजी में जबरन निर्माण करे व वादी को काश्त में रूकावट पेदा करे।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल तथ्यों एवं साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय करना उचित समझता हुं कि–

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम डूंगरसारण में खाता सं. 880 खसरा नं. 1254/623, 550/80, 551/80, 553/80, 555/80, 556/80, 559/80, 560/80, 562/80, 591/80, 592/80, 594/80 कुल खेत किता 13 कुल रकबा 2.0872 है. में प्रतिवादीगण जबरन मकान निर्माण का कार्य न तो स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे। वादी को उक्त आराजी में काश्त करने में रूकावट पेदा न तो स्वयं प्रतिवादीगण करे न ही किसी अन्य से करावे।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2024 को सरेईजलसा सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली